संख्या:44 / 2022 / 1645 ई-2/तेरह-**2022**-1658698

प्रेषक,

राजवीर सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊःदिनांकः 23 सितम्बर, **2022**

विषय:- मेसर्स रमाया डिस्टिलरीज एण्ड बोटलर्स प्रा. लि., ग्राम लाठौर, पोस्ट जौरा, कसया, जनपद कुशीनगर में 99 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता की ग्रेन पर आधारित मिश्रित (पेय एवं औद्योगिक) आसवनी स्थापित किये जाने के सम्बन्ध।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी -216/दो-प्रा.डी.-252 /रमाया ,दिनांक 15-09-2022, एवं इसी सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव आबकारी विभाग की अध्यक्षता में आहूत समिति की बैठक दिनांक 21-09-2022 के निर्गत कार्यवृत्त संख्या:-1634ई-2/तेरह-2022-1658698 दिनांक 22-09-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव व संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित में मेसर्स रमाया डिस्टिलरीज एण्ड बोटलर्स प्रा. लि., ग्राम लाठौर, पोस्ट जौरा, कसया, जनपद कुशीनगर को **99** कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में **330** कार्य दिवस के आधार पर **326.70** लाख लीटर अधिष्ठापित क्षमता की अनाज पर आधारित आसवनी जिसमें **24** कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् **79.20** लाख लीटर वार्षिक अनाज से ई.एन.ए. पेय मदिरा निर्माण हेतु एवं **75** कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् **247.50** लाख लीटर वार्षिक अब्सोल्यूट अल्कोहल , एस.डी.एस. का निर्माण एवं विक्रय किया जायेगा , स्थापित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जाती है :-

1. इकाई द्वारा नियमानुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ.प्र से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा आसवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त कर कार्यालय आबकारी आयुक्त , उ.प्र. को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
2. ग्रेन से एथनॉल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शाससनादेश दिनांक **26.03.2021** के प्रस्तर-**3(4)(**छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

3. इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**